



सं. ए60011/26/2012/पीपी/307

दिनांक 10 जून, 2019

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यकारी निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
आरसीडीयू/एफआईयू, नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक,
भारतीय विमानन अकादमी,
नई दिल्ली

प्रिंसिपल,
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण महाविद्यालय
बमरौली, इलाहाबाद

महाप्रबंधक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सीआरएसडी/ईएंडएम कार्यशाला,
नई दिल्ली

निगमित एचआरएम परिपत्र संख्या. 33/2019

विषय: भाविप्रा में इंटरनशिप प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश

इंटरनशिप छात्रों के लिए शैक्षिक या कैरियर विकास के अवसरों को बढ़ावा देने के साधनों में से एक है, जो उन्हें किसी क्षेत्र या कार्य के लिए अल्पकालिक व्यवहारिक प्रदर्शन प्रदान करता है। इंटरनशिप आमतौर पर एक अल्पकालिक परियोजना के आसपास केंद्रित होती है या कभी-कभी किसी विशेष कार्य या विभाग का गहन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से होती है।

पिछले कुछ वर्षों में इंटरनशिप प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में अनुरोधों को देखते हुए और प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, संशोधित दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार रखी गई हैं:

1) इंटरन की परिभाषा

इंटरन 18 वर्ष से अधिक आयु का छात्र हो सकता है जो निम्न में से कोई भी पाठ्यक्रम कर रहा हो:

- ए) इंजीनियरिंग क्षेत्र में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- बी) इंजीनियरिंग सहित नियमित डिग्री पाठ्यक्रम (3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि)
- सी) 4 वर्ष से अधिक अवधि के एकीकृत पाठ्यक्रम
- डी) नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
- ई) सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।

2) इंटरनशिप अवधि

ए) छात्रों को सामान्यतः हर वर्ष मई से जुलाई के दौरान इंटरनशिप की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि से अधिक इंटरनशिप के लिए, संबंधित कार्यपालक निदेशक/क्षे.का.नि. की मंजूरी की आवश्यकता होगी ।

बी) 8 सप्ताह से अधिक की इंटरनशिप अवधि के लिए, संबंधित कार्यपालक निदेशक/क्षे.का.नि. की मंजूरी लेनी होगी ।



3) इंटरन की अधिकतम सीमा

ए) प्रत्येक संस्थान में इंटरन की संख्या की अधिकतम सीमा होगी। एक शैक्षणिक वर्ष (जुलाई-जून) में भाविप्रा के सभी स्थानों पर प्रति स्ट्रीम प्रति संस्थान 4 से अधिक इंटरन को इंटरनशिप का अवसर नहीं दिया जाएगा।
बी) प्रत्येक एयरपोर्ट पर इंटरन की संख्या की अधिकतम सीमा होगी, इस पर निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। हालांकि, किसी भी समय, इंटरन की संख्या एयरपोर्ट/संस्थान के कर्मचारियों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4) इंटरनशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया

ए) इच्छुक छात्र भाविप्रा में इंटरनशिप प्रशिक्षण के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय के माध्यम से इंटरनशिप के लिए अपना आवेदन अग्रेषित करेंगे। छात्रों के सीधे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
बी) इंटरनशिप अनुरोध सीएचक्यू में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), क्षेत्रीय मुख्यालय में संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और संबंधित हवाई अड्डों पर विमानपत्तन निदेशक को संबोधित किया जाएगा।
सी) संबंधित मानव संसाधन अनुभाग पहले खंड 'सी' में उल्लिखित ऊपरी सीमा की जांच करने के बाद इंटरनशिप अनुरोधों को अनुमोदन के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को अग्रेषित करेगा।
डी) संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, संबंधित मानव संसाधन अनुभाग द्वारा संस्थान/विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्र को इंटरनशिप आदेश जारी किया जाएगा।
ई) इंटरनशिप अवधि पूरी होने पर, संबंधित विभाग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इंटरन की उपस्थिति रिकॉर्ड को संबंधित मानव संसाधन अनुभाग को अग्रेषित करेगा।

5) सामान्य नियम एवं शर्तें (इंटरनशिप आदेश में उल्लेखित)

ए) नामांकन की स्वीकृति पूर्णतः भाविप्रा का विशेषाधिकार है, जो व्यवहार्यता एवं सुविधा के अधीन है।
बी) भाविप्रा द्वारा नामांकित छात्रों के प्रति वजीफा या अन्यथा (टीए/डीए, आवास/भोजन आदि) के रूप में कोई वित्तीय दायित्व वहन नहीं किया जाएगा।
सी) छात्र का नामांकन संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रायोजित होना चाहिए, जिसमें आवश्यक परिचय के उद्देश्य और क्षेत्रों का उल्लेख हो।
डी) नामांकित छात्रों को कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान अधिकतम 8 सप्ताह तक सुबह 09:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने की अनुमति होगी।
ई) छात्रों को कार्य समय के दौरान उचित तरीके से व्यवहार करना होगा और जिस अधिकारी को वे रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके निर्देशों का पालन करना होगा।
एफ) छात्र किसी भी तरह से अपने हस्तक्षेप या उपस्थिति से उन कार्यालयों के सामान्य कामकाज को बाधित नहीं करेंगे, जहां वे परिचय प्राप्त कर रहे हैं।
जी) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, छात्र विषय पर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट में भाविप्रा के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दिखाई दे।
एच) भाविप्रा अपने विवेक से, बिना कोई कारण बताए, इंटरनशिप बंद कर सकता है।
आई) इंटरनशिप से नामांकित छात्र को संगठन में रोजगार के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
जे) इंटरनशिप अवधि के दौरान भाविप्रा के परिसर में खुद को हुई किसी भी चोट / क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

के) छात्र को इंटरनशिप के दौरान फोटोग्राफी, गोपनीयता आदि पर सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों और मानदंडों का पालन करना होगा।

एल) नामांकन को अंतिम रूप देना विश्वविद्यालय / संस्थान के साथ-साथ छात्र द्वारा उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करने के अधीन होगा।

एम) संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान को यह वचन देना चाहिए कि नामांकित छात्र भाविप्रा में अपने नामांकन के दौरान उपरोक्त सभी प्रावधानों / शर्तों का पालन करेंगे। नामित व्यक्ति द्वारा अपने आचरण, कार्यो या भोग-विलास के कारण भाविप्रा की प्रतिष्ठा को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि या क्षति की भरपाई छात्र या विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा की जाएगी।

6) उपरोक्त दिशा-निर्देश परिपत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

7) यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(संजय जैन)

कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)

वितरण: -

- ❖ अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी
- ❖ सदस्य (वित्त)/ सदस्य (मानव संसाधन)/ सदस्य (संचालन)/ सदस्य (एएनएस)/ सदस्य (योजना)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
- ❖ निगमित मुख्यालय / प्रचालन कार्यालय / भाविप्रा कार्यालय परिसर के सभी विभागाध्यक्ष
- ❖ कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)
- ❖ महाप्रबंधक (मानव संसाधन) - केएन/जीबी/एनडी/आरकेजे/एमएन
- ❖ महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
- ❖ महासचिव - एएईयू
- ❖ महासचिव - एएओए(1)/एटीसी गिल्ड (आई)/एएआईईजी/आईएसीआईओए/एएआई एससी/एसटी एसोसिएशन।

(हिंदी संस्करण बाद में जारी किया जाएगा। इस परिपत्र के किसी भी अनुवादित संस्करण के अर्थ में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का अर्थ मान्य होगा)